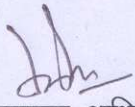


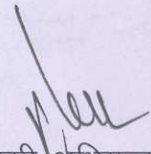
परियोजना का नाम:- जनपद चमोली के विकास खण्ड घाट में घाट-रामणी
मोटर मार्ग के ग्राम कुरुड से कुण्डबगड तक मोटर
मार्ग का निर्माण कार्य।

वन संरक्षण अधिनियम के उल्लंघन न होने का प्रमाण पत्र,

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद चमोली के विकास खण्ड घाट में
घाट-रामणी मोटर मार्ग के ग्राम कुरुड से कुण्डबगड तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य
में जो वन भूमि प्रस्तावित की गयी है उसके अर्न्तगत कोई भी निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं
किया गया है।

अतः उक्त परियोजना के निर्माण में कोई वन संरक्षण अधिनियम के उल्लंघन
नहीं किया गया है।


सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो.नि.वि.
कर्णप्रयाग।


अधिशायी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो.नि.वि.
कर्णप्रयाग।